


CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

9



B.O.R
28 Oct 2014

28 Oct 2014

सम्झा:- न्यायालय श्रीमान् राजस्व मडल ग्वालियर कम्पसागर म.प्र. G.F.B
10-0

R-3845-J/114

छेदी पिता दरई जाति अहिरवार
साकिन जोरतला कला, तह. पथरिया,
जिला- दमोह, म. प्र.

पुनरीक्षणकर्ता

//विरुद्ध//

जोदा पिता हरिया उर्फ हरिराम जाति अहिरवार,
निवासी- जोरतला कला, तह. पथरिया जिला दमोह,
म. प्र.,

उत्तरदाता

रि. क्रं.

प्रस्तुति दि. 27/10/014

पुनरीक्षण निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय
अधिकारी पथरिया के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/014
अपी. प्र. क्र. 16 अ/06, 13-14, जोदा विरुद्ध छेदी व अन्य, में पारित
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर वैधानिक सारवान तथ्यों पर अग्रलिखित
अनुसार प्रस्तुत करता है:-

/// मामले के तथ्य ///

इस प्रकार हैं कि, पुनरीक्षणकर्ता उत्तरवादी ने ग्राम जौणा
जोरतला, तह. पथरिया जिला दमोह म. प्र. के ख. नं. 430, 434, रकबा
क्रमशः 0.52, 0.23 कुल रकबा 0.75 हे, भूमि को जरिस् ~~प्रति~~ दा
~~के~~ संशोधन-पंजी क्रं. 33 दिनांक 20/08/1996,
के अनुसार मालिक, काबिज हुआ था। और पुनरीक्षणकर्ता उक्त दिनांक
से ही निरंतर उपरोक्त संशोधन पंजी के बटवारा प्रवृष्टि नामांतरण
से काबिज मालिक है। उत्तरदाता से पारिवारिक बुराईवश बाद
में उत्तरदाता ने असत्य आधारों पर उक्त संशोधन पंजी. को निरस्त
किये

श्री हरीश चंद्रका
द्वारा प्रस्तुत.
अध्यायक
कार्यालय कमिश्नर, सागर तस्माग,
सागर (म. प्र.)

152
28-10-14

सागर
जात
30/10/14

17-11-14

1000 4-16/17 9 मा 8
दही / शका ल

(64) खेती / खादी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>7-1-15</p> <p>S-2-15 लागा कंप</p> <p>DD</p>	<p>आवेदक - डाकि की द्वाारा चुकी उपस्थित/ प्रकरण में कार्यवाही परतक हेतु / कार्यालय C.F. 5-2-15</p> <p>आवेदक अधि. सूचना उपरोक्त अनुपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगावरी गई परन्तु उनसे ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, बाद पुकार प्रकरण आवेदक अधिवक्ता का अनुपस्थिति में इदम रैली में श्वारिज किया जाता है।</p> <p>प्रशासकीय सहाय</p>	<p>05/2/2015 Rajal 07/1/2015</p>